न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम–

रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 14/2018

नाजमा पत्नि शमसुलहक जाति काजी निवासी वार्ड नं. 7 मदीना मस्जिद के पास, जरिये मुख्तयार जावेद अख्तर पुत्र शमसुलहक जाति काजी निवासी वार्ड नं. 7 मदिना मस्जिद के पास, फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

<u>बनाम</u>

1. नगरपालिका मण्डल, फतेहपुर शेखावाटी जरिये अधिशाषी अधिकारी
2. तहसीलदार महोदय फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. पटवारी हल्का, फतेहपुर
4. जिला कलेक्टर महोदय, प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत राजस्व रिकोर्ड संशोधन अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु</u>

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मो. आरीफ खोखर – वादी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 06.04.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कृषि भूमि खसरा नंबर 887/1 रकबा 8.30 हेक्टयर पटवार हल्का फतेहपुर कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है जो की नेशनल हाईवे नं. 11 वर्तमान हाईवे नं. 52 के दोनो तरफ व नेशनल हाईवे नं. 65 के उपर अवस्थित है।

उक्त कृषि भूमि में से कृषि भूमि रकबा 0.69 हैक्टयर की खोतेदारी वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2055–2058 में दर्ज थी तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि में से वादीया के सम्पूर्ण हिस्से व साथ ही कुल रकबा 2.47 हैक्टयर कृषि भूमि की खातेदारी नामान्तरण सं. 2752 दिनांकित 13.02.2001 के सिवायचक किस्म गैर मु. आबादी के रूप में नगरपालिका मण्डल फतेहपुर के रूप में दर्ज होकर अलग से खसरा नं. 887/1/1 दर्ज हुई तथा शेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

कृषि भूमि मुताबिक खातेदार 887/1/2 के रूप में राजस्व रिकोर्ड में यथावत अलग से अंकन चली आ रही थी।

आराजियात 887/1/1 रकबा 2.47 हैक्टयेर खातेदारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर के नाम दर्ज होने के पश्चात वादीया द्वारा अपने खातेदारी अधिकार की भूमि बाबत नगरपालिका मण्डल फतेहपुर से दो अलग अलग 490.66 वर्गगज व 464.00 वर्गगज भुमि के पट्टे भी प्राप्त किये गये थे वादीया की उक्त कृषि भूमि एन एच 11 एंव एन एच 52 से पूर्व दिशा एवं शेख सुल्तान दरगाह के पश्चिम उत्तर में तथा एन एच 11/52 से पूर्व दिशा में स्थित है जिसे वाद पत्र के साथ सलग्नं नक्शें में बसुर्ख लाल रंग से दर्शित किया गया है जिसें आगे वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि के नाम से भी सम्बोधित किया जावेगा।

विवादित कृषि भूमि पर वादीया की पुख्ता निर्माण भी किया गया था तथा तारबन्दी की हुवी थी जो की वर्तमान में नेशनल हाईवे अथोरिटी द्वारा भु–अवाप्ति पर उक्त निर्माण संरचना को हटा दिया गया है विवादित कृषि भूमि नगरपालिका **Lay out plan** व **google map** में भी एन एच 11/52 के पूर्व में एन एच 65 के व एन एच 11/52 के जक्शन पोईन्ट पर अवस्थित है।

नवीन भू प्रबन्ध सन् 2004–2005 द्वारा तैयार राजस्व रिकोर्ड में वादीया के हक अधिकार की भूमि जिसका खसरा नं. 887/1/1 था का खाता परिवर्तित कर नया खसरा सं. 1227 दर्ज किया गया तथा राजस्व नक्शे में भी सड़कों में अवाप्त भूमि व वादीया के खाते शुदा भूमि तथा अन्य खातेदारन की भूमियों का अलग अलग खसरा नं. व अलग अलग सीमांकन कर उन्हें राजस्व नक्शे में पृथकित कर दिया गया किन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा वादीया के हक की कृषि भूमि जिसका खाता वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है को गलत रूप से काफी पिछे की तरफ दर्शित कर दिया गया एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.47 हैक्टयर भूमि को ना तो नक्शा ट्रेश में पृथक रूप से सिमांकित किया और ना ही नये दर्ज खसरा नं. 1227 को सही जगह जो कि एन एच 11/52 व एन एच 65 से सटता दर्ज है को सही रूप से अंकित किया गया।

वादीया को जब उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी हुई तो उसने तहसीलदार कार्यालय व नगरपालिका कार्यालय से आकर राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो उसे सम्पूर्ण गलत तरमीम (इन्द्राज) के बारे में जानकारी हुई तब वादीया ने अविलम्ब राजस्व अधिकारीयों से मिलकर उन्हें राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेश को दुरूस्त करने को कहा किन्तु बार बार चक्कर लगाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त नहीं किया इस कारण वादीया को यह वाद लाना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में गलत रूप से राजस्व रिकोर्ड अकन होने व विवादित कृषि भूमि के एन एच 11/52 व 65 पर जक्शंन पोईन्ट पर होने से वहां आधारभूत सरचंनात्मक परिवर्तन किये जा रहें है तथा राजस्व रिकोर्ड से छेड़छाड़ व गलत रूप से पट्टे जारी होना

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

करते हैं जिन्हें रोकने हेतु वादीया ने प्रतिवादीगण से विनती कि किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीया की कोई सुनवाई नहीं कि इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी आवश्यक है।

विवादित कृषि भूमि के एन एच 11/52 व 65 से सटते हुवे होने व उसमें से प्रतिवादीगण द्वारा पट्टे जारी किये जाने बाबत तथ्य नगरपालिका मण्डल फतेहपुर के पत्र क्रमांक 2016–2017/1117 से भी स्पष्ट है तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में वादीया की कृषि भूमि का सही रूप से सीमांकन व नये खसरा नं. 1227 का सही जगह अंकन नहीं होने से वादीया के हितों पर कुठाराघात होकर उसे असीम क्षति हो रही है। इस कारण राजस्व नक्शा ट्रेश में विवादित कृर्षि भुमि का सही जगह अंकन व मुताबिक नगरपालिका **Lay out plan** व **google map** के अनुसार सही जगह खसरा नं. सीमांकन व अंकन किया जाना आवश्यक है।

वाद वादी विरूद्ध डिक्री किया जाकर विवादीत कृर्षी भुमि 887/1/1 जिसका वर्तमान खसरा नं. 1227 रकबा 2.47 हैक्टयर है का राजस्व रिकोर्ड , नक्शा ट्रेश में वादीया द्वारा प्रस्तुत नक्शें में लाल रंग से दर्शित सही रूप से सीमांकन कर सही जगह खसरा नं. 1227 का अंकन किया जावे। प्रतिवादीगण के नोकर चाकर अधिकारी व सर्वअधिकारी सहित प्रतिबंधित फरमाया जावे की वो विवादित आराजियात को मौके व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

<u>आदेश</u>

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय अन्तर्गत 136 पेश हुई जिसका निम्नानुसार निर्णय किया गया वादीगण नजमा पति शमसुलहक ने 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 887/1 रकबा 8.30 में से रकबा 0.69है. खातेदारी वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2055–2058 में दर्ज थी तत्पश्चात उक्त कुल भूमि की खातेदारी नामान्तरण संख्या 2752 दिनांकित 13.02.2001 के द्वारा गै. मु. आबादी के रूप में राजस्व रिकार्ड में यथावत चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी ने अलग अलग 490.66 वर्गगज व 464.00 वर्गगज भूमि के पट्टे भी प्राप्त किये गये। वादीया की भूमि एन एच 11 तथा एन एच 65 से दक्षिण में एवं शेख सुल्तान दरगाह के पूर्व उत्तर में तथा एन एच 11/52 में जक्शन पोईन्ट में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है जिसे वाद पत्र में सलंग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। दस्तावेजों को अवलोकन किया गया व तहसीलदार, फतेहपुर व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतेहपुर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी और मनन किया गया तो पाया कि खसरा नम्बर 887/1/1 रकबा 2.47 है. पुराना, नया खसरा नम्बर 1227 रकबा 2.47 है0 बना है। तहसीलदार फतेहपुर की रिपोर्ट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

नगरपलिका मण्डल फतेहपुर के

जरिये नामान्तरण संख्या 2752 दिनांक 13.02.2001 भू. रूपान्तरण आदेश से वादिया नजमा पत्नी शमसुलहक वगैरह ने खसरा नम्बर 887/1 रकबा 8.30है. में से खसरा नम्बर 887/1/1 रकबा 2.47 है. भूमि की खातेदारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर के नाम से दर्ज हुई है। नगरपालिका मण्डल फतेहुपर के अनुसार उक्त विवादित भूमि एन एच 11/52 व एन एच 65 पर रोड़ पर अवस्थित है। जो कि वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेश में गलत रूप से अंकित हो गई है। जिसका संशोधन नगरपालिका ले आउट प्लान व गुगल मेप के अनुसार सही जगह लिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 को काई आपत्ति नहीं है। अतः खसरा नम्बर 1227 की तरमीम नगरपालिका ले आउट प्लान व गूगल मैप के अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1227 रकबा 2.47 है. की तरमीम शुद्धि करने व आवेदन अन्तर्गत आदेश 136 के अनुसार पुरानी तरमीम खारिज कर उपरोक्तानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

मुकदमा ....रेनू मीणा (आर.ए.एस..)...

नजमा पत्नि शमसुलहक जाति काजी निवासी वार्ड नं. 7 मदीना मस्जिद के पास, जरिये मुख्यतार जावेद अख्तार पुत्र शमसुलहक जाति काजी निवासी वार्ड नं. 7 मदिना मस्जिद के पास, फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल, फतेहपुर शेखावाटी जरिये अधिशाषी अधिकारी
2. तहसीलदार महोदय फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. पटवारी हल्का, फतेहपुर
4. जिला कलेक्टर महोदय, प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत राजस्व रिकोर्ड संशोधन अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

मुकद्दमा नं.....14..............................सन्....2018..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री मो0 आरीफ खोखर एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1227 रकबा 2.47 है. की तरमीम शुद्धि करने व आवेदन अन्तर्गत आदेश 136 के अनुसार पुरानी तरमीम खारिज कर उपरोक्तानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे। ....बाबत.........................–.....................

निज........– ....मुबलिग................–....................फीसदी सालाना आज की तारीख से

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–..........................

तरीख अदायगी तक...का अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....06.......माह .....अप्रैल..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

ओहदा..

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।